कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

प्रार्थी श्री लालजी | **विपक्षी** श्री रूपा व अन्य

कस्म मुकदमा धारा–111, 128 भू–राजस्व अधिनियम | **प्रकरण संख्या** 03/2025

कार्यवाही विवरण

–::निर्णय::–

दिनांक 19/03/25

उपस्थितः– श्री राजकुमार जैन अधवक्ता–प्रार्थी
श्री जितेन्द्र कुमार वैष्णव अधिवक्ता–विपक्षी सं.01
पेरोकार सरकार तहसीलदार झल्लारा

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर अंकित किया कि मौजा कल्याणाखुर्द पटवार हल्का कल्याणाकलां तहसील झल्लारा मे प्रार्थी के खातेदारी की भूमि स्थित है जिसके खाता संख्या 128 कुल किता 09 कुल रकबा 1.77 हैक्टेयर स्थित है। यह की मौके पर सीमा विवाद बना हुआ है क्योंकि विपक्षी मौके पर कब्जा को नही छोडना चाहता है। मौके पर अभी हाल मे कोई फसल नही कर रखी है तथा खेत खाली पडे है जिस कारण उक्त खेतो का माप पत्थरगढी करके कराना चाहते है। उक्त जमीन के बाबत् राजस्व वाद या विभाजन का पेन्डिग नही है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के आराजीयात की भूमि पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये समन सूचित किया गया। विपक्षी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र वैष्णव हाजिर आये जिन्होंने आदेशिका पर अंकित करते हुये पत्थगढी आदेश किये जाने पर विपक्षी सं. 1 को कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया। विपक्षी सं. 02 भूमिधारी तहसीलदार झल्लारा ने जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थी के आराजीयात की पत्थरगढी का आदेश किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के आराजीयात की भूमि की पत्थरगढी का आदेश फरमावे। जिस पर विपक्षीगण ने कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया।

बहस मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात /रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थनापत्र मे वर्णित मौजा कल्याणाखुर्द पटवार हल्का कल्याणाकलां की हाल जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 की खाता संख्या 128 कुल किता 09 कुल रकबा 1.7700 हैक्टेयर भूमि का प्रार्थी रेकार्डेड खातेदार है। प्रार्थी अपने उक्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

प्रार्थी श्री लालजी | **विपक्षी** श्री रूपा व अन्य
कस्म मुकदमा धारा–111, 128 भू–राजस्व अधिनियम | **प्रकरण संख्या** 03 / 2025

	कार्यवाही विवरण

–:आदेश:–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा कल्याणाखुर्द पटवार हल्का कल्याणांकलां जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 की खाता संख्या 128 कुल किता 09 कुल रकबा 1.7700 हैक्टेयर भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर पत्थरगढी किये जाने हेतु पत्थर मय मजदूर खडडा करने एवं रोपने के लिये तहसीलदार को उपलब्ध करवाएं। तथा पत्थरगढी शुल्क तहसीलदार, भू.अ.नि. व पटवारी का एक दिन का वेतन मय वाहन खर्च राजकोष में जमा करे। पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये जाकर मौके पर मौतबीरान की उपस्थिति में प्रार्थी की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार झल्लारा के नाम जारी की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करे।

निर्णय दिनांक 19/03/25 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(शान्ति लाल जैन)
उपखण्ड अधिकारी
सलुम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर